सार-समाचार

एनसीसी भर्ती शुरू करने की मांग

डूंगरपुर, (निसं)। स्टूडेंट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया कॉलेज इकाई अध्यक्ष अर्जुन कटारा एवं एसएफ आई इकाई कमेटी के प्रवीण अहारी के नेतृत्व में एनसीसी भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिले के सबसे बडे राजकीय कॉलेज में पिछले कई सालों से आर्मी भर्ती के तहत एनसीसी भर्ती की जाती है, लगातार कॉलेज प्रसाशन एससीसी को खत्म करने में लगा हुआ है। नए सत्र में प्रवेशित विद्यार्थियों का 3 माह का अध्ययन हुआ है, लेकिन अभी तक एनसीसी भर्ती शुरू नही की हैं, इससे पूर्व में भी एसएफ आई ने ज्ञापन देकर प्राचार्य को अवगत करवाया था,लेकिन कॉलज प्रसाशन की ओर से पहल नही की जा रही हैं। एसएफ आई छात्रसंगठन ने ज्ञापन देकर कॉलेज प्रसाशन को चेताया हैंएसाथ ही अन्य खेलकूद प्रतियोगिता,स्काउट गाइड, एनएसएस जैसी गतिविधिया नियमित करने को अवगत करवाया हैं। समय रहते मांग का समाधान नही हुआ तो एसएफ आई छात्रसंगठन उग्र आंदोलन करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रसाशन की रहेंगी। प्रतिनिधि मंडल में मनीष अहारी, वर्षा, विपिन, राहुल, महेश, मनोज आदि मौजूद थे।

करंट से शराब से ल्समैन की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के बडगांव थाना क्षैत्र में विद्युत लाईन छू जाने पर करंट लगने से शराब सेल्समैन की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिल्ली की भागल राजसमन्द हॉल लियों का गुड़ा निवासी राजेन्द्रसिंह पुत्र शंभूसिंह बुधवार सवेरे करंट लगने से झलसने पर मौत हो गई। राजेन्द्र पालडी रोड़ पर स्थित शराब की दुकान पर सेल्स मैन का काम करता था। सवेरे स्कूटी से वह ड्यूरी पर जा रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में इलेवन केवी विद्युत तार टूटा पडा था। जिसे छू जाने पर करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसका पता चलने पर हॉल ड्यूटी पर तैनात बडगांव थाने के हेडकांस्टेबल सोहनसिंह मय जाप्ता ने मौके पर पहुंच कर राजेन्द्र को एमबी चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर एएसआई मांगीलाल ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुसिल ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

नकदी से भारा बैग छीना

उदयपुर, (कासं)। शहर के अम्बामाता थाना क्षैत्र में बाइक सवार बदमाश महिला का नकदी से भरा बैग छिन ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता लीना कुमावत पत्नी हरेन्द्रकुमावत निवासी राजरतन भुवाणा सुखेर ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडिता ने बताया कि 26 नवंबर को दोपहर में मै स्कूटी पर परिचित वृद्धा को लेकर देवाली से फतहपुरा की तरफ जा रही थी। इस दौरान आए बाइक सवार बदमाश वृद्धा के हाथ से पर्स छिन ले गए। जिसमें मोबाईल, नकदी व दस्तावेज थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश की लेकिन सुराग नहीं लगा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

वृद्ध ने की आत्महत्या

उदयपुर, (कासं)। श्हार के अम्बामाता थाना क्षैत्र में वृद्ध ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकरी के अनुसार अम्बामाता थाना क्षैत्र हरिहर नगर सिसारमा रोड़ निवासी मनोहरलाल पुत्र रतनलाल पुरोहित ने मंगलवार सवेरे अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने पर एएसआई अमजद खां ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मनोहरलाल के तीन पुत्रिया है । जिनका विवाह होने के बाद से वह अकेला रहता था। गत दिनों एक पुत्री बीएड ट्रेनिंग को लेकर उसके पास रह रही थी जो मंगलवार सवेरे स्कूल बीएड लेसन देने के लिए गई थी। इस दौरान वह घर पर अकेला था। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया।

उपचार के दौरान दम तोड़ा

उदयपुर, (कासं)। शहर के नाई थाना क्षैत्र वरड़ा गांव निवासी छगनसिंह पुत्र मगनसिंह (74) ने मंगलवार सवेरे विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया था।जिसकी तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर हेडकांस्टेबल मंगलसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रदर्शनी में लोगों ने लिया भाग

प्रतापगढ़, (निसं)।केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचा कर उसे लाभ लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करें। यह बात बुधवार को केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, डूंगरपुर द्वाराजिला प्रशासन के सहयोग से 26 नवंबर से प्रतापगढ के अम्बेडकर भवन सभागार में चलरही विकसित भारत 2047 प्रदर्शनी के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पंचायत समिति के विकास अधिकारी मामराज मीना ने कही। उन्होने कहाकि गरीब को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना तथा महिला के स्वाभिमान की रक्षा प्रदान करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन तथा रोजगार देकर आर्थिकरूप से सशक्त करने के लिए मनरेगा योजना जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजना चलाई जारही है। प्रदर्शनी के दौरान दूसरे सत्र में कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी विकास कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदास्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ई-नाम, तारबंदी, पोंड,कृषि संयत्र अनुदान सहित आदि योजनाओं के बारे मे जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीना ने कहा कि आगामी 5 से॰9 फरवरी तक नई दिल्ली में विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने कहा की शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार एवं तकनीक की प्रवृत्ति को बढावा देना तथा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाना, उद्योग सहयोग को मजबूत करना एवं निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ कौशल विकास को बढावा देना है।

राजसमंद जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का दिलाया संकल्प

राजसमंद, (निसं)। भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद जिला प्रशासन ने जतन संस्थान के सहयोग से रैलियों व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिले के लगभग 50 गावों में जतन संस्थान द्वारा बैठको एवं कैंडल मार्च रैली कर बाल विवाह मुक्त भारत के तहत बाल विवाह नहीं करने की शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा सरकार के साथ समन्वय कर जिले के लगभग 600 से अधिक गांवों में लगभग एक लाख महिला, पुरुषों एवं बच्चों की भागीदारी के साथ यह कार्यक्रम

■ बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई

आयोजित किये गए हैं। जिला प्राधिकरण सचिव संतोष अग्रवाल ने जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया।

गौरतलब है कि जतन संस्थान बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए 400 से भी ज्यादा जिलों में काम कर रहे 250से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के देशव्यापी गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के उद्घाटन के मौके पर जिला प्रशासन ने जिले में बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे गैर सरकारी संगठन जतन संस्थान के साथ मिलकर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। इस मौके पर समारोह में ऋतु शर्मा (एलएडीसी) ने स्कूली बच्चों, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई।

जिले में जगह-जगह हुए कार्यक्रमों में बडी संख्या में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, आशा व आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के अलावा बाल विवाह पीडिताओं ने भी भागीदारी की और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली।

इस दौरान उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। इस मौके पर बाल विवाहों की सूचना व शिकायत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह के खिलाफ शपथ लेते छात्र-छात्राएं।

महिला से मोबाइल छीना

उदयपुर, (कासं)। शहर के सुखेर थाना क्षैत्र में बाइक सवार बदमाश महिला के हाथ से मोबाईल छिन ले गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित लाजवंती कुंवर पत्नी श्रवणसिंह निवासी बी ब्लॉक रोड़ नं. 2 मीरा नगर ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि मोकाड़ों स्कूल के पास मैं मोबाईल पर बातचीत करते हुए पैदल पैदल जा रही थी। इस दौरान आए बाइक सवार तीन बदमाश मेरे हाथ से मोबाईल छिन ले गए।

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)
Email:-np_ntd@yahoo.in Phone.-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ./नामा./2024/13142 दिनांक : 22/11/2024

-:आपत्ती सूचना:-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/ नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/ नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	श्री मोहम्मद सलमान अन्सारी एवं श्री अरमान अन्सारी पिता श्री हजरत अली,नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या -11 क्षेत्रफल 812.50 वर्गफिट, डेरघाटा गुंजोल	कॉलोनी का आम रास्ता 30 फिट	भूखण्ड संख्या -14	भूखण्ड संख्या -12	भूखण्ड संख्या -10

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
इंटालीखेड़ा (31507) शाखा, जिला सलुम्बर, राजस्थान
ई-मेल: sbi.31507@sbi.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **श्री हीरा लाल पटेल पुत्र श्री धुला जी** पर मांग सूचना **दिनांक 16.08.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 16.08.2024 को बकाया राशि रू. 7,33,064/- (रूपये सात लाख तैंतीस हजार चौंसठ मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 22, माह नवम्बर, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उसमे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 16.08.2024 को बकाया राशि रू. 7,33,064/- (रूपये सात लाख तैंतीस हजार चौंसठ मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **भारतीय स्टेट बैंक, इंटालीखेड़ा (31507) शाखा, जिला सलुम्बर, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री हीरा लाल पटेल पुत्र श्री धुला जी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो पट्टा नं. 16313 दिनांक 21.11.2016, राजस्व गाँव इंटालीखेड़ा, जिला सलुम्बर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 925 वर्ग फीट है। **सीमाएं-** उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: 11' फीट गली बाद रामू पुत्र रूपजी का मकान, पूर्व: स्वयं के आंगन बाद आम रास्ता, पश्चिम: 16'7'' स्वयं के बाडे बाद रामू पुत्र रूपजी का प्लॉट

स्थान: सलुम्बर हस्ता.
दिनांक: 22.11.2024 प्राधिकृत अधिकारी

नाटक एक को

उदयपुर, (कासं)। नाट्य संध्या 'रंगशाला' में एक दिसंबर को नाटक 'दिलवाले दुल्हनियां दे जायेंगे' का मंचन किया जाएगा। निदेशक ने बताया की शिल्पग्राम उदयपुर स्थित दर्पण सभागार में 'दिलवाले दुल्हनियां दे जायेंगे' नाटक का मंचन किया जाएगा।

खेल महोत्सव का समापन

राजसमंद, (निसं)। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती नान्दोली गांव में आयोजित तीन दिवसीय तेजाजी महाराज के खेल महोत्सव का तीसरे और अंतिम दिन समापन हुआ। आरएनजी ग्रुप के नरेंद्र त्यागी ने बताया कि चामुंडा माताजी के मंदिर पर शिव सवारियां कीर्तन मंडल की ओर से आयोजित खेल में पारसमणी पारस भुआ का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। तीसरे दिन के खेल में मुख्य रूप से गुजरी की गायों को मीणाओं द्वारा चोरी करने और तेजाजी द्वारा मीणाओं से लडाई जीतकर गायों को गुजरी को वापस सौंपने का दृश्य प्रस्तुत किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा कार्यों का निरीक्षण

बांसवाड़ा, (निसं)। मनरेगा कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर जिला परिषद् के अधिकारियों ने दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाललाल स्वर्णकार ने पंचायत समिति सज्जनगढ की ग्राम पंचायत शक्करवाडा में शम्भु मला के खेत के पास वाजवा आम्बा चेकडेम कार्य के निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर मस्टरोल एवं श्रमिक नहीं मिलने, कार्यस्थल पर कार्य सम्पादित नहीं किये जाने, एनएमएमएस के माध्यम से 33 श्रमिकों की दर्ज उपस्थिति के विरूद्ध मौके पर एक भी श्रमिक के उपस्थित नहीं होने तथा कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड का अभाव होने पर कार्यक्रम अधिकारी ईजीएस पंचायत समिति सज्जनगढ को संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायचक, कनिष्ठ सहायक तथा मेट के विरूद्ध संबंधित थाने में तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए और भविष्य में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर गुड गवर्नेस के तहत विभागीय निर्देश 3 फरवरी-2022 द्वारा दिए गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित

■ अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

करने के लिये निर्देशित किया। इसी प्रकार एक अन्य पत्र में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् कार्यक्रम अधिकारी ईजीएस पंचायत समिति तलवाडा को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति बांसवाडा की ग्राम पंचायत लीमथान में एनएमएमएस पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर सामरिया से कांतिध्रावजी के घर तक कच्चा नाला निर्माण कार्य में कार्यस्थल पर मेट, मस्टरोल एवं श्रमिक उपस्थित नहीं मिलने, कार्यस्थल पर कार्य संपादित नहीं कराये जाने, एनएमएमएएस के माध्यम से 33 श्रमिकों की उपस्थित दर्ज होने लेकिन मौके पर एक भी श्रमिक उपस्थित नहीं होने तथा कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड का अभाव होने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं मेट के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं

महिला का पर्स छीना

उदयपुर, (कासं)। शहर भ्रमण के लिए आई महिला का बाइक सवार बदमाश पर्स छिन ले गया। जानकारी के अनुसार पियुष पुत्र मोहनशंकर जोशी निवासी होटल मैनेजर एक्वाटाईप अपार्टमेंट राजलक्ष्मी होटल के पास नासिक रोड़ महाराष्ट्र हॉल जैन भवर हाथीपोल अपने परिवार के साथ शहर भ्रमण के लिए आया था जहां 25 नवंबर को स्थल मंदिर से सूरजपोल लौटते समय अज्ञात बाइक सवार बदमाश हंसा जोशी के कंधे पर लटका हुआ पर्स छीन ले गए।

कुंए में गिरने से महिला की मौत

डूंगरपुर। जिले के राणा का वाटा विकासनगर गांव में बुधवार देर शाम 4 बजे कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई। शव जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार राणा का वाटा विकास नगर निवासी कल्पना पत्नी कल्पेश कटारा कुएं पर पानी लेने के लिए गई थी। जहां पाव फिसलने से महिला कुएं में गिरने से सिर पर गंभीर चोंट आई मौके पर पहुंचे परिजनों ने कल्पना को कुएं से बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी प्रभारी नारायणलाल मौके पर पहुंच तथा शव का जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया। महिला का पति गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी काम करता है।

कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द, जिला राजसमन्द

क्रमांक: न.प.रा./राजस्व/2024-25/5509 दिनांक : 26.11.2024

आपत्ति सूचना

मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी इण्डस टॉवर लिमिटेड, टॉवर कम्पनी ने निम्नलिखित स्थानों पर GBM मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु नगर परिषद राजमसन्द में आवेदन प्रस्तुत किया है-

क्र. सं.	साईड आई डी	स्थान	विशेष विवरण
1.	IN 3302043	कांकरोली से मुखर्जी चौराहा मुख्य सड़क पर डिवायडर के मध्य एम.आई.स्टोर सेल्स एण्ड सर्विस	GBM आकार 1.35m X1.35m उंचाई 30 मीटर

उक्त संबंध में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त कम्पनी द्वारा मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु अगर किसी व्यक्ति/संस्थान/कॉलोनी वासियों को कोई आपत्ति हो तो प्रमाण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में लिखित में अन्दर मियाद 07 दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त कम्पनी को टॉवर लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी। अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

आयुक्त नगर परिषद् राजसमन्द

स्वअनुशासन व आत्मसात करने की कला ही सफलता का मूलमंत्र : प्रो.सारंगदेवोत

उदयपुर, (कासं)। जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी विवि) के संघटक लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मंगलवार को सात दिवसीय सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद

■ प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की शपथ दिलाई

प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रो. कर्नल एस.एस. सारंगदेवोत, प्राचार्य डॉ. सरोज गर्ग, डॉ.रचना राठौड, डॉ.बलिदान जैन, डॉ. अमी राठौड और डॉ. सुनीता मुर्डिया ने किया । समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. सारंगदेवोत ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ सहशैक्षिक और खेलकूद गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से ही संपूर्ण विकास संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन और करियर में सफलता के मूलमंत्र साझा करते हुए कहा कि स्वअनुशासन और ज्ञान को आत्मसात करना, सफलता की कुंजी है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जीवन में खेलकूद और अन्य गतिविधियां महज मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि ये भविष्य की सफलता का बीजारोपण करती हैं। कुलपति प्रो. सारंगदेवोत ने सभी प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की शपथ दिलाई।

संचालन डॉ. हरीश चौबीसा ने किया। समारोह के अंतिम दिन मिस्टर और मिस एलएमटीटी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व, कौशल और रचनात्मकता को परखा जाएगा। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. सरोज गर्ग ने बताया कि सात दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिताओं की एक लंबी श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 200 मीटर और 400॰ मीटर दौड, गोला फेंक, तश्तरी फेंक, बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस जैसी खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान महाविद्यालय की एनसीसी कैडेट्स ने परेड का आयोजन किया, जिसे कुलपति प्रो. सारंगदेवोत ने सलामी दी।

सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कुलपति प्रो. कर्नल एस.एस. सारंगदेवोत, प्राचार्य डॉ. सरोज गर्ग व अन्य ने किया।

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
CIN: L65922RJ1999PLC015440
321, एस.एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)
दूरभाष : 0294-2412609, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com

परिशिष्ट - 4 {नियम 8 (1)} सांकेतिक की सूचना (स्थावर संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी, जो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत निम्न ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता को एक मांगपत्र जिसमें उल्लेखित रकम, जो उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रतिदाय करने के लिए ''मांग पत्र'' जारी किया था। ऋणी/सहऋणी/जमानतियों/बन्धककर्ता द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता, उनके जमानतदारों एवं जनसाधारण को यहाँ सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002, के नियम 8 के अंतर्गत निम्न संपत्तियों का सांकेतिक कब्ज़ा उल्लेखित दिनांक को ले लिया है। ऋणी सहऋणी, बन्धककर्ता व जमानतदारो को विशिष्ट रूप से एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से इसके द्वारा सावधान किया जाता है की वह नीचे वर्णित संपत्तियों के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नही करे। इन संपत्तियों के सबंध में किया गया कोई भी व्यवहार नीचे **सांकेतिक कब्ज़ा** पत्र में वर्णित रकम, और सांकेतिक कब्ज़ा पत्र की दिनांक से आगे के ब्याज, खर्चों, अन्य खर्चों आदि के लिए एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 321, एस.एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान) के प्रभार के अधीन होगा। अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अंतर्गत सुरक्षित (सिक्योर्ड) प्रतिभूति के उन्मोचन के लिए उपलब्ध समय के प्रावधानों की ओर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता व उनके जमानतदारो का ध्यान आकृष्ट करता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या/ ऋणी/ सहऋणी/ जमानती	1) मांग पत्र की दिनांक 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार	स्थावर संपत्ति का विवरण
1.	HLR00000000010591 श्रीमती सोना देवी पत्नी श्रीमान धर्मराज सैन (ऋणी) श्री धर्मराज सैन पुत्र श्री मोडू राम सैन (सह- ऋणी) श्री सत्यनारायण सैन पुत्र श्री रामस्वरूप सैन (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- दिसम्बर 12, 2023 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 22, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार-₹ 3,22,940/- रुपये तीन लाख बाईस हज़ार नो सौ चालीस मात्र दिनांक दिसम्बर 11, 2023तक एवं दिसम्बर 12, 2023 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्रीमती सोना देवी पत्नी श्रीमान धर्मराज सैन की सम्पति जो की पट्टा नं. - 30, पुस्तक सं. - 87, ग्राम - गिरवरपुरा, ग्राम पंचायत - गिरवरपुरा, पंचायत समिति - सावर, तहसील - सावर, जिला - अजमेर (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 102.22 वर्ग गज है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- मिश्रीलाल पुत्र गोरधन, उत्तर- रामस्वरूप पुत्र कल्याण, दक्षिण - दुर्गा लाल पुत्र मदन
2.	HLR00000000013016 श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री राम सिंह (ऋणी) श्रीमती प्रेम कुंवर पत्नी श्री राम सिंह (सह- ऋणी -1) श्री राम सिंह पुत्र श्री भेरू सिंह राजपूत (सह- ऋणी -2) श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह (जमानती-1) श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह (जमानती -2)	1) मांग पत्र की दिनांक- अगस्त 26, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23, 2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार-₹ 8,19,950/- रुपये आठ लाख उन्नीस हज़ार नो सौ पचास मात्र दिनांक अगस्त 26, 2024 तक एवं अगस्त 27, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्री राम सिंह पुत्र श्री भेरू सिंह की सम्पति जो की पट्टा नं. - 1406, आराजी नं. - 49, ग्राम-रामपुरिया, ग्राम पंचायत-लापसिया, तहसील-रेलमंगरा, जिला-राजसमंद (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1080 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व - मदन सिंह जी का नोहरा, पश्चिम - अमर सिंह जी का मकान, उत्तर - सामान्य रास्ता, दक्षिण - राम सिंह जी का नोहरा
3.	HLR00000000011762 श्री रतन लाल नायक पुत्र श्री भमर लाल (ऋणी) श्रीमती श्यामू बाई नायक पत्नी श्री रतन लाल (सह- ऋणी) श्री वरदी चंद्र पुत्र श्री सुक्खा लाल (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- मई 13, 2024 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- नवम्बर 23,2024 3) मांग राशि मांग पत्र अनुसार- ₹ 3,30,540/- रुपये तीन लाख तीस हज़ार पांच सौ चालीस मात्र दिनांक अप्रैल 24, 2024 तक एवं अप्रैल 25, 2024 से आगे के ब्याज, खर्चे अतिरिक्त।	श्रीमती श्यामू बाई नायक पत्नी श्री रतन लाल की सम्पति जो की आराजी नं. -31, पट्टा नं.-05, पुस्तक सं. -45, नायक मौहल्ला, अमलिया का खेड़ा, ग्राम-नेगड़िया, तहसील-डूंगला, जिला-चित्तौड़गढ़, (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1008 वर्ग फिट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व - पप्पू खान और भूरे खान का मकान, पश्चिम - गंगा बाई / जगीध नायक का मकान, उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण- आम रास्ता
4.	HLR00000000003638 श्री किशन लाल जाट पुत्र श्री माधव लाल जाट (ऋणी) श्रीमती नोसर बाई (निशा देवी) पत्नी श्रीमान किशन लाल जाट (सह-ऋणी) श्री अमरचंद पुत्र श्री भंवर लाल जाट (जमानती-1) श्री संजय चौधरी पुत्र श्री हजारी लाल च